

**FIRST INFORMATION REPORT**

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): वस्तर P.S. (थाना): बोधघाट Year (वर्ष): 2024

FIR No. (प्र.सू.रि.सं.): 0244

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 12/06/2024 22:00 बजे

2. S.No. (क्र.सं.) Acts (अधिनियम)

Sections (धारा(एँ))

1 भा ट सं 1860

420

2 भा ट सं 1860

468

3 भा ट सं 1860

471

4 भा ट सं 1860

193

5 भा ट सं 1860

120-B

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day (दिन): शनिवार

Date From (दिनांक से): 24/07/2021

Date To (दिनांक तक): 24/07/2021

Time Period (समय अवधि): पहर 5

Time From (समय से): 15:45 बजे

Time To (समय तक): 15:45 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):

Date (दिनांक): 12/06/2024

Time (समय): 22:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 004

Date & Time (दिनांक और समय): 12/06/2024 22:00 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): पूर्व, 01 किमी

Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): श्रीराम ट्रांसपोर्ट फायनेश, कंपनी लिमिटेड बोधघाट जगदलपुर

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S. (थाना का नाम):

District(State) (ज़िला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): नीलेश कुमार पांडेय

(b) Father's Name (पिता का नाम): श्री जी.पी.पांडेय

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1982

(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No.(पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

S.No. (क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No.(क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	करकापाल, बोधघाट, बस्तर, छत्तीसगढ़, भारत
2	स्थायी पता	करकापाल, बोधघाट, बस्तर, छत्तीसगढ़, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9826189907

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	संजय रूपचंदानी			1. अज्ञात, बोधघाट, बस्तर, छत्तीसगढ़, भारत
2	दिनेश सिंह चौहान			1. अज्ञात, बोधघाट, बस्तर, छत्तीसगढ़, भारत
3	दुमन लाल साहू			1. अज्ञात, बोधघाट, बस्तर, छत्तीसगढ़, भारत
4	सुदर्शन बी होला			1. अज्ञात, बोधघाट, बस्तर, छत्तीसगढ़, भारत
5	सुरज सरोगी			1. अज्ञात, बोधघाट, बस्तर, छत्तीसगढ़, भारत
6	ए. गणेश			1. अज्ञात, बोधघाट, बस्तर, छत्तीसगढ़, भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

शुभ चिंतको से सलाह उपरांत

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.) UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

मैं थाना बोधघाट में सजनि0 के पद पर पदस्थ हूँ कि आज दिनांक 12.06.2024 को आवेदक निलेश कुमार पाण्डेय के द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध कुट रचना करते हुये अपराधिक सणयंत्र रचकर मिथ्या साक्ष्य गढते हुये छल पूर्वक एफ0आई0आर0 दर्ज करवाने के संबंध में लिखित आवेदन प्रस्तुत करने से अपराध धारा 420, 468, 471, 193, 120बी, भादवि0 के अन्तर्गत अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपीगण के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध की जाती है, लिखित आवेदन नकल जैल है :- मैं निलेश कुमार पांडेय पिता श्री जी.पी.पांडेय उम्र 42 वर्ष वर्तमान पता करकापाल जिला बस्तर छ0ग0 मैं मेसर्स श्रीराम ट्रांसपोर्ट फायनेश कंपनी लिमिटेड मे कुल 17 वर्षों से एवं जनवरी 2018 से जनवरी 2021 तक रिजनल बिजनेश हेड के पद पर जगदलपुर मे कार्यरत था मेरा मुख्य कार्य व्यवसायिक वाहनो मे ग्राहको को मेरे अधिनस्थ आने वाली शाखाओ के शाखा प्रबंधको को समायोजित कर ऋण मुहईया करवाना था एवं कंपनी द्वारा दिये गये टारगेट को पूरा करना था जुन 2021 मे संजय रूप चंदानी दिनेश सिंह चौहान एवं दुमन लाल साहू, सुदर्शन वी होला, सुरज सरोगी, ए. गणेश ने दुर्भावना से ग्रसित होकर एवं मिलकर छलपूर्वक कुटरचना करते हुये अपराधिक पडयंत्र रच कर मिथ्या साक्ष्य गढ कर छल पूर्वक मुझे और मेरे अधिनस्थ रिकु साहू को सामाजिक मानसिक एवं आर्थिक हानि पहुंचाने के उद्देश्य से हमारे खिलाफ झुठी एवं फर्जी दस्तावेज (role and responsibility letter) प्रस्तुत कर सुकमा थाना मे दिनांक 24/07/2021 को एफआईआर दर्ज करवाई गई जिसके कारण 17दिन मुझे जेल अभिरक्षा मे रहना पडा एवं कंपनी से निष्कासित कर दी गई। संजय रूपचंदानी ने अपने पद और कंपनी मे जमा आम जनता (जमाकर्ता) के पैसो का दुरुपयोग करते हुये 70000/-रूपये कंपनी से आहरित कर हमारे खिलाफ एफआईआर करवाने एवं गिर0 करवाने के लिये उपयोग किया है जो कि कानूनी दृष्टि से अपराधिक श्रेणी मे आता है एवं कंपनी के नियमो के खिलाफ है। अतःमहोदय से निवेदन है कि उपरोक्त सभी आरोपी संजय रूप चंदानी (एस.सी.एच.) दिनेश सिंह चौहान (शाखा प्रबंधक) दुमन लाल साहू(आर.वी.एच.) सुदर्शन वी होला (जे.एम.डी.), सुरज सरोगी (एस.वी.एच.), ए. गणेश (एच.आर.हेड) इनके विरुद्ध कडी से कडी कार्यवाही करे प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है।)

(1) Registered the case and took up the investigation:  
(प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): or

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): ARUN KUMAR  
Rank (पद): SI (Sub-Inspector) No.( सं.):

to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)  
or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.) UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

मैं थाना बोधघाट में सजनि0 के पद पर पदस्थ हूँ कि आज दिनांक 12.06.2024 को आवेदक निलेश कुमार पाण्डेय के द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध कुट रचना करते हुये अपराधिक सणयंत्र रचकर मिथ्या साक्ष्य गढते हुये छल पूर्वक एफ0आई0आर0 दर्ज करवाने के संबंध में लिखित आवेदन प्रस्तुत करने से अपराध धारा 420, 468, 471, 193, 120बी, भादवि0 के अन्तर्गत अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपीगण के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध की जाती है, लिखित आवेदन नकल जैल है :- मैं निलेश कुमार पांडेय पिता श्री जी.पी.पांडेय उम्र 42 वर्ष वर्तमान पता करकापाल जिला बस्तर छ0ग0 मै मेसर्स श्रीराम ट्रासपोर्ट फायनेश कंपनी लिमिटेड मे कुल 17 वर्षों से एवं जनवरी 2018 से जनवरी 2021 तक रिजनल बिजनेश हेड के पद पर जगदलपुर मे कार्यरत था मेरा मुख्य कार्य व्यवसायिक वाहनो मे ग्राहको को मेरे अधिनस्थ आने वाली शाखाओ के शाखा प्रबंधको को समायोजित कर ऋण मुहर्ईया करवाना था एवं कंपनी द्वारा दिये गये टारगेट को पुरा करना था जुन 2021 मे संजय रूप चंदानी दिनेश सिंह चौहान एवं दुमन लाल साहू, सुदर्शन वी होला, सुरज सरोगी, ए. गणेश ने दुर्भावना से गसित होकर एवं मिलकर छलपूर्वक कुटरचना करते हुये अपराधिक पडयंत्र रच कर मिथ्या साक्ष्य गढ कर छल पूर्वक मुझे और मेरे अधिनस्थ रिंकु साहू को सामाजिक मानसिक एवं आर्थिक हानि पहचाने के उद्देश्य से हमारे खिलाफ झूठी एवं फर्जी दस्तावेज (role and responsibility letter) प्रस्तुत कर सुकमा थाना मे दिनांक 24/07/2021 को एफआईआर दर्ज करवाई गई जिसके कारण 17दिन मुझे जेल अभिरक्षा मे रहना पडा एवं कंपनी से निष्कासित कर दी गई। संजय रूपचंदानी ने अपने पद और कंपनी मे जमा आम जनता (जमाकर्ता) के पैसो का दुरुपयोग करते हुये 70000/-रूपये कंपनी से आहरित कर हमारे खिलाफ एफआईआर करवाने एवं गिर0 करवाने के लिये उपयोग किया है जो कि कानूनी दृष्टि से अपराधिक श्रेणी मे आता है एवं कंपनी के नियमो के खिलाफ है। अतःमहोदय से निवेदन है कि उपरोक्त सभी आरोपी संजय रूप चंदानी (एस.सी.एच.) दिनेश सिंह चौहान (शाखा प्रबंधक) दुमन लाल साहू(आर.वी.एच.), सुदर्शन वी होला (जे.एम.डी.), सुरज सरोगी (एस.वी.एच.), ए. गणेश (एच.आर.हेड) इनके विरुद्ध कडी से कडी कार्यवाही करे प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है।)

(1) Registered the case and took up the investigation:  
(प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): or

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): ARUN KUMAR

Rank (पद): SI (Sub-Inspector) No. (सं.):

to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)  
or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इकार किया या)


(4) Transferred to P.S.(थाना):

District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी )

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)



14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15. Date and time of dispatch to the court

(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police  
Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Smt. Sujata Naidu

Rank(पद): Ass. SI (Assistant Sub-  
No.(सं.):